राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सूचना का अधिकार

Website: ard.rajasthan.gov.in
क्रमांक प. 20(84) प्रसु/सूअप्र/2009पार्ट

जयपुर, दिनांक : 15-11-2021

परिपत्र

राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपीलों की सुनवाई के दौरान राज्य लोक सूचना अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा परिपत्र कमांक 11(1)प्रसु/सूअप्र/2015 दिनांक 05.02.2015 तथा अति. मुख्य सचिव महोदय की ओर से परिपत्र कमांक 11(1)प्रसु/सूअप्र/2015 दिनांक 04.07.2016 जारी कर समस्त लोक प्राधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने विभाग में नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों को सूचना आयोग में सुनवाई में उपस्थित रहने हेतु पावन्द करें।

राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि विभागों में नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा शासन के उक्त निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने भी इस संबंध में राज्य सरकार को यह अवगत कराया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग में द्वितीय अपीलो/परिवादों की सुनवाई में संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं होते है तथा अपने विभाग के किसी भी कार्मिक को पेशी पर भिजवा देते है, जिन्हे उस अपील के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी नही होती है। इससे अपीलों के निर्णय तो बाधित होते ही है, साथ ही आयोग का समय भी व्यर्थ होता है।

अतः इस संबंध में समस्त विभागों/निगमों/बोर्ड/आयोग आदि के लोक प्राधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील/परिवाद की सुनवाई के दौरान संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी को स्वयं उपस्थित होने हेतु निर्देश जारी करें एवं किसी विशेष परिस्थिति में यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो विभाग के किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी को लिखित में अधिकृत कर सुनवाई में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करें, जिसे प्रकरण की पूर्ण जानकारी हो।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावें।

भवदीय,

(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव

8083
15/11/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

पता– कमरा न0 8224, एस.एस.ओ. भवन, शासन सचिवालय,जयपुर दूरभाष न0 IP 23644 , subhash

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर - 302005

CIN No. U40109RJ2000SGC016485

क्रमांक/राराविप्रनि/सिस्टमापना/अन्य/पे. 34/जयपुर, दिनांक 25-11-2021

लोक सूचना अधिकारी,

....,

रा.रा.वि.प्र.नि.लि.,

..............................।

विषय :-प्रशासनिक सुधार एंव समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) द्वारा जारी परिपत्र के दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित करने बाबत ।

सन्दर्भः-वरिष्ठ शासन उप सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के कार्यालय पत्र क्रमांक 9(3)ऊर्जा/2021दिनांक 18.11.20121(प्राप्ति दिनांक 22.11.2021).

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि वरिष्ठ शासन उप सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयुपर पत्रांक प. (3)ऊर्जा/ 2021द्वारा प्राप्त प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) का परिपत्र क्रमाकं 20(84) प्रसू/सूअप्र/2009 दिनांक 15.11.2021 की प्रति को संलग्न कर निगम के सभी राज्य लोक सूचना अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र में जारी दिशा निर्देशो के अनुसार आयोग में द्वितीय अपील की सुनवाई के समय सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी स्ंवय उपस्थित हो अथवा किसी विशेष परिस्थिति में किसी राजपत्रित अधिकारी को उपस्थित होने के लिये अधिकृत कर सुनवाई में उपस्थित हाने बाबत पाबन्द करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(एच.एम. ढाका)

सचिव (प्रशासन)